

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0- 74 / 2016-17

शेख हदीश बनाम् मु0 मुस्ताक वगै0


-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद आवेदक शेख हदीश पे0-स्व0 शेख मुबारक, सा0-बेनीदास भुस्का, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-बेनीदास भुस्का नं0-312, जमाबंदी नं0-19, दाग नं0-129 के अन्दर रकवा-00-13-08 धूर जमीन से विपक्षीगण मु0 मुस्ताक, 2. मु0 मेराज, 3. मु0 इम्तियात, सभी पेसरान-मु0 हदीश, 4. मु0 पत्ते आलम, 5. मु0 तसलीम, दोनो पे0-मु0 इजराईल, 6. मु0 ईजराईल, पे0-मु0 कम्मो, 7. मु0 तजमुन पे0-मु0 जहीर, 8. मु0 इस्लाम, पे0-मु0 तजमुल, 9. मु0 चुन्ना, पे0-मु0 खुरकुन, 10. मु0 खुरकुन, पे0-मु0 महीर, 11. मु0 युसुफ, पे0-मु0 खुरकुन, 12. मु0 तुलों, पे0-मु0 महीर, 13. मु0 इसमाईल, पे0-मु0 इब्राईम, 14. मु0 फिरोज, पे0-इब्राहिम सभी साकिन-बेनीदास भुस्का, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है। तदनुसार अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।


उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोंपरान्त पाया कि इस न्यायालय के आर0ई0आर0 केस नं0-73 / 2016-17 शेख हदीश बनाम शेख हबीब वगै0 में दिनांक-01.08.2017 को प्रासंगिक दाग की भूमि अन्तर्गत आदेश पारित किया गया। पुनः आदेश पारित का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


07.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


07.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Subhash chandra chaudhary
Adlr.
16.01.2023

Seen
Adlr.
11.01.23